

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री लालू पिता घीसा पूर्बिया गाडरी निवासी माताजी की पाण्डोली व अन्य
बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 14 / 2019 (रा.अ.) G.C.M.S. NO. :-2019/00143

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
02.02.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि अपीलार्थीगण ने उक्त अपील में जो तथ्य वर्णित किए हैं वह राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) से संबंधित है तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) से संबंधित तथ्यों पर प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के अधिकार/क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील में एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज अधिवक्ता अपीलार्थीगण को लौटाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। अपीलार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र हैं। अपील में एवं दस्तावेज की छायाप्रति पत्रावली में रखी जावे। पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	



(के.के. शर्मा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़